शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक-30 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 24-31 जुलाई 2023 मूल्य पांच रूपए

कार्यकर्ताओं की अनदेखी पर प्रतिभा के बाद राठौर भी हुये मुखर

- जिन लोगों ने चुनावों में कांग्रेस को विरोध किया उनकी ताजपोशी क्यों और कैसे
- आम आदमी को महंगाई और बेरोजगारी के अतिरिक्त कुछ नहीं दे पायी यह सरकार
- बेरोजगार युवा होने लगे लामबन्द
- मित्रों की ही सरकार होकर रह गयी सुक्खू सरकार
- कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर बने मामले तक वापस नहीं हुये

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार को सत्ता में आये अभी आठ माह का ही समय हुआ है। लेकिन इस अल्पकाल में ही यह सरकार अपनों के ही निशाने पर आ गयी है। यह निशाना भी किसी और ने नहीं बल्कि पार्टी की अध्यक्षा एवं सांसद प्रतिभा सिंह तथा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता विधायक कुलदीप राठौर ने साधा है। सरकार पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी किये जाने का आरोप है। प्रतिभा सिंह यह शिकायत राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे से दिल्ली में मुलाकात करके उनके संज्ञान में ला चुकी है। कुलदीप राठौर ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री से मांग की है कि जिन सैकड़ों कार्यकर्ताओं के दम पर पार्टी सत्ता में आयी है उन्हें उचित मान सम्मान दिया जाना चाहिये। राठौर ने कहा है कि पिछली सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए दर्जनों कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले बने जो अब तक वापस ले लिए जाने चाहिए लेकिन ऐसा हुआ नहीं है राठौर के मुताबिक उनके अपने खिलाफ भी कई मामले बने हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने तो अधिकारियों को लक्ष्मण रेखा न लांघने की चेतावनी देते हुये यहां तक कहा है कि जो प्रस्ताव विभाग की ओर से सरकार को भेजे जाते हैं वह दिल्ली पहुंचते-पहुंचते कैसे बदल जाते हैं।

सुक्खू सरकार के खिलाफ यह आम आदमी की शिकायत है कि उसके काम नहीं हो रहे हैं। यह पता ही नहीं चलता कि उनके प्रतिवेदन कहां चले जाते हैं। कुछ मंत्रियों की भी यही शिकायत है कि विभाग में सचिव और निदेशक के स्तर पर उनके आदेशों की अनुपालना नहीं हो रही है। चर्चा है कि मंत्री जब अपने विभाग के सचिव की शिकायत लेकर मुख्यमंत्री के पास गये और सचिव को बदलने का आग्रह किया तो मुख्यमंत्री ने सचिव को बदलने की बजाये मंत्री का ही विभाग बदलने की पेशकश कर दी। सरकार में शक्तियों के इस जुबानी केंद्रीयकरण पर उस समय मोहर पर लग गयी जब एक बड़े अधिकारी को मुख्यमंत्री ने डांट लगा दी। चर्चा है कि बड़े अधिकारी के कार्यालय में मुख्यमंत्री से अनुमति प्राप्त कुछ आवेदन/प्रतिवेदन आगामी अनुपालना के लिये पहुंचे थे। अधिकारी ने उन पर तुरन्त प्रभाव से अमल कर दिया। अमल करने की रिपोर्ट लेकर अधिकारी मुख्यमंत्री को सूचित करने उनके कार्यालय पहुंच गये। मुख्यमंत्री से मिलने गये तो उन्हें पी एस के कमरे में प्रतीक्षा करने के लिये कह दिया। कुछ समय बाद मुख्यमंत्री वहां आये और अधिकारी को डांट दिया कि उनसे बिना पूछे उनकी अनुमतियों पर अमल कैसे कर दिया। वह तो हरके आवेदन पर अप्रूवल कर देते हैं लेकिन करना वही होता है जिसका वह संदेश करें। मुख्यमंत्री कार्यालय में घटा यह किस्सा सचिवालय के गलियारों से लेकर स्कैंडल तक हर एक की जुबान पर है। मुख्यमंत्री को इस तरह के केंद्रीयकरण की आवश्यकता क्यों आ पड़ी है इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है और शायद यह दिल्ली दरबार तक भी पहुंच चुका है।

इस समय सरकार बनने के बाद जितने गैर विधायकों की ताजपोशी की गयी है उनका एक ही मानदण्ड रहा है मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत मित्रता। इस मित्रता में दो-चार ऐसे लोग भी हैं जो भाजपा के समर्थक और कांग्रेस के विरोधी रहे हैं। चुनावों में ऐसे लोगों ने कुछ स्थानों पर कांग्रेस प्रत्याशियों का खुलकर विरोध किया है। इस पर तो यहां तक चर्चा चल पड़ी है कि ऐसा किसी निश्चित योजना के तहत तो नहीं किया गया था। माना जा रहा है कि जल्द ही इस दिशा में कोई बड़ा खुलासा सामने आने वाला है। शायद इसी वस्तुस्थिति के कारण हाईकमान के रणनीतिकार के सर्वे से लेकर एक टी वी चैनल और ज्योतिष की भविष्यवाणीयों तक में आ रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस प्रदेश की चारों सीटें हार जायेगी। इन आकलन में इसलिये दम लग रहा है क्योंकि यह सरकार आठ माह में सात हजार करोड़ का कर्ज लेने के बाद भी आम आदमी को महंगाई और बेरोजगारी के अतिरिक्त कुछ नहीं दे पायी है। बेरोजगार युवा सरकार के खिलाफ लामबन्द होने लग गया है। विपक्ष सरकार पर हमलावर होना शुरू हो गया है। भाजपा यह आरोप लगा रही है कि यह तो केवल मित्रों की सरकार है आम आदमी से इसका कोई लेना देना नहीं है। कोई भी कांग्रेस नेता भाजपा के आरोपों का कारगर जवाब नहीं दे पा रहा है। अब यह देखना शेष है कि कांग्रेस हाईकमान इस स्थिति का क्या संज्ञान लेती है। क्योंकि सरकार अभी जनता को दी गारंटीयों पर कुछ ज्यादा नहीं कर पायी है। ओल्ड पैन्शन को लेकर भी निगमों/बोर्डो के कर्मचारियों के प्रति अभी सरकार स्थिति स्पष्ट नहीं कर पायी है। कर्मचारी इस पर आन्दोलन तक की बात कर रहे हैं। हिमाचल सरकार की व्यवहारिक स्थिति को यदि भाजपा ने प्रदेश से बाहर भी उठा दिया तो पार्टी के लिये एक बड़ा संकट खड़ा हो जायेगा। क्योंकि हिमाचल सरकार पिछली भाजपा सरकार के प्रति जिस तरह का नरम रुख लेकर चल रही है उससे कई तरह के सवाल उठने लगे पड़े हैं।

चम्बा के मिंजर महोत्सव का विधिवत समापन मुख्यमंत्री ने शोभा यात्रा में भाग लिया

शिमला/शैल। चम्बा के अंतर्राष्ट्रीय मिंजर महोत्सव के समापन समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अखण्ड चण्डी महल से मंजरी बाग तक निकाली गयी भव्य शोभा यात्रा में भाग लिया और पारम्परिक मान्यता अनुसार रावी नदी में मिंजर प्रवाहित किया।

मुख्यमंत्री ने पारम्परिक वेशभूषा में सुसज्जित स्थानीय लोगों, नाटय दलों, बजंतरियों, पुलिस व गृह रक्षक बैंड और पर्यटकों के साथ निकाली गई भव्य शोभा यात्रा की अगवानी की। उन्होंने लाल कपड़े में बन्धे नारियल, सिक्के और फल इत्यादि से तैयार मिंजर रावी नदी में प्रवाहित किया।

इससे पहले, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐतिहासिक चम्बा चौगान में कुश्ती मुकाबले देखे और विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, विधायक भवानी सिंह पठानिया, केवल सिंह पठानिया, नीरज नैय्यर, पूर्व मंत्री आशा कुमारी तथा ठाकुर सिंह भरमौरी, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अमित भरमौरी, उपायुक्त चम्बा अपूर्व देवगन, जन प्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति मुख्यमंत्री के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुये।

राहत और पुनर्वास के लिए जिला समितियों का गठन

शिमला/शैल। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी आपदा के बाद की स्थिति का आकलन करने के लिये जुब्बल, नवार, कोटखाई, रामपुर और ठियोग निर्वाचन क्षेत्र के अन्य स्थानों का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर उनके साथ रहेंगे।

राज्य सरकार द्वारा हाल ही में हुई अत्यधिक बारिश, बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से हुए नुकसान का आकलन करने के उद्देश्य से राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। राजस्व मंत्री के अलावा इस समिति में शिक्षा मंत्री, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी बतौर सदस्य और निदेशक -सह-विशेष सचिव (राजस्व-आपदा प्रबंधन समिति) दुनी चंद राणा बतौर सदस्य सचिव शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने भारी बारिश के कारण आई आपदा के मूल्यांकन के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में एक राहत और पुनर्वास समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। जगत सिंह नेगी को तीन जिला समितियों, कांगड़ा, किन्नौर और लाहौल- स्पीति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया चंबा जिले के लिए गठित समिति के अध्यक्ष होंगे। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ऊना ज़िले के लिए गठित समिति के अध्यक्ष, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल बिलासपुर ज़िले के लिए गठित समिति के अध्यक्ष, कृषि मंत्री चंद्र कुमार हमीरपुर ज़िले के लिए गठित समिति के अध्यक्ष, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान शिमला ज़िले के लिए गठित समिति के अध्यक्ष, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर सिरमौर ज़िले के लिए गठित समिति के अध्यक्ष, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सोलन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह मंडी जिले के अध्यक्ष और मुख्य संसदीय सचिव सुन्दर सिंह ठाकुर कुल्लू ज़िले के लिए गठित समिति के अध्यक्ष होंगे। जिला राहत एवं पुनर्वास समिति में अध्यक्ष के अलावा अपने-अपने जिलों के सभी विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित विधायक और सभी जिला विभागाध्यक्ष बतौर सदस्य शामिल होंगे।

जिलाधीश अपने-अपने जिलों की समिति के सदस्य सचिव एवं संयोजक होंगे।

ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स–2023 में हिमाचल को एक स्वर्ण व दो रजत

शिमला/शैल। हिमाचल ने ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स-2023 में तीन प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतकर डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बार फिर अपनी पहचान बनाई है। विभिन्न श्रेणियों में राज्य द्वारा की गई अनुकरणीय पहल के लिए यह पुरस्कार हासिल हुए हैं। इन पुरस्कारों में एक स्वर्ण पदक और दो रजत पदक शामिल हैं। 5 अगस्त, 2023 को गोवा में आयोजित होने वाले पुरस्कार समारोह में प्रदेश को यह पदक प्रदान किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए डिजिटल टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस विभाग के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने प्रतिष्ठित पुरस्कार श्रेणियों में राज्य द्वारा विशिष्ट स्थान प्राप्त करने के लिए विभाग के समर्पण और कड़ी मेहनत को श्रेय दिया।

ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल उत्कृष्टता की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हिमाचल प्रदेश को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। प्रदेश में ई-कॉमर्स वेबसाइटों के डिजाइन, विकास, रखरखाव, होस्टिंग, डीएनएस पंजीकरण और प्रबंधन पर व्यापक परामर्श के लिए राज्य की पहल पर यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

दो रजत पदकों में से पहला पदक उभरती प्रौद्योगिकी की पहल में अग्रणी श्रेणी में हासिल हुआ है। हिम-परिवार पार्टल जैसी दूरदर्शी पहल में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए यह प्रदान किया गया है। डिजिटल परिवर्तन के लिए ई-गवर्नेंस में प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग की श्रेणी में एचपी शिवा एमआईएस पोर्टल के डिजाइन और विकास की पहल के लिए दूसरा रजत पदक प्रदेश को हासिल हुआ है। इसमें सरकारी प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने, उन्हें अधिक कुशल, पारदर्शी और सुलभ बनाने के राज्य के प्रयासों को सराहा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी विभागों में डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए दृढ़ प्रयास कर रही है, जिससे सुशासन के तहत विभागीय प्रक्रियाओं को लोगों की ज़रूरतों के अनुरूप अधिक सुव्यवस्थित और उत्तरदायी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डिजिटल परिवर्तन और डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुशासन प्रदान करने के अपने दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध है।

लिपिक पद के भर्ती एवं पदोन्नति नियम में बदलाव करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं

शिमला/शैल। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सचिवालय में लिपिक पद के भर्ती एवं पदोन्नति नियम में बदलाव करने संबंधी राज्य सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस बारे में हि.प्र. सचिवालय कर्मचारी यूनियन का प्रतिनिधिमंडल मिला था और मुख्यमंत्री ने उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत करवा दिया है।

प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने यूनियन को आश्वस्त किया है कि भ्रामक सूचना एवं अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कारवाई की जाएगी।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकः जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

राज्यपाल ने जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर तथा दुर्गियाना मंदिर में शीश नवाया और वाघा बॉर्डर का दौरा किया।

इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी उनके साथ थी।

राज्यपाल ने स्वर्ण मंदिर की परिक्रमा की और गुरु सेवा में भी भाग लिया। राज्यपाल को मंदिर के सूचना कार्यालय में सम्मानित भी किया गया।

इस अवसर पर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस पवित्र स्थल की यह यात्रा अविस्मरणीय है और यहां सभी को सेवा भाव व आनंद की अलग ही अनुभूति होती है।

शुक्ल ने दुर्गियाना मंदिर में पूजा-अर्चना की और दुर्गियाना ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा उनका सम्मान किया गया।

इसके उपरांत राज्यपाल ने जलियांवाला बाग का भी दौरा किया और 13 अप्रैल, 1919 को इस स्थल पर अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि उनके सर्वोच्च बलिदान को आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी साथ ही देश की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहेंगी।

मुख्यमंत्री ने कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विजय दिवस पर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इन वीर सपूतों ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुये राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इन बहादुर जवानों की स्मृति में हर वर्ष 26 जुलाई को विजय दिवस मनाया जाता है। उन्होंने प्रदेशवासियों की ओर से शहीदों को नमन करते हुए कहा कि देश की भावी पीढ़ियों के लिए वे प्रेरणास्रोत हैं।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कारगिल में अदम्य साहस का परिचय देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और प्रदेश के 52 वीर सपूतों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनके बलिदान को देश सदैव याद रखेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के बहादुर सैनिकों का साहस व देशभक्ति, निःस्वार्थ राष्ट्र सेवा की सच्ची भावना को दर्शाता है।

रजत पदक विजेता निषाद कुमार ने मुख्यमंत्री से भेंट की

शिमला/शैल। पैरा-एथलेटिक्स वर्ल्ड चौंपियनशिप-2023 में ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक विजेता निषाद कुमार ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निषाद कुमार को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि वह प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।

निषाद की असाधारण प्रतिभा की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर वैश्विक स्तर पर प्रदेश का नाम रौशन किया है। उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और लक्ष्य प्राप्ति के लिए अडिग रहने की भावना से युवाओं के समक्ष एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है।

निषाद कुमार ने वर्ष 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में भी रजत पदक जीता है।

मुख्यमंत्री ने भविष्य में होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में निषाद को सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दीं।

इस अवसर पर विधायक चैतन्य शर्मा और सुदर्शन सिंह बबलू भी उपस्थित थे।

हिमाचल आने वाले पर्यटकों की संख्या वर्ष की पहली छमाही में रिकॉर्ड एक करोड़ के पार

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश ने दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान स्थापित की है। यहां की प्राकृतिक खूबसूरती के चलते एक बार पुन: हिमाचल देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है। वर्ष, 2023 में मीलपत्थर स्थापित करते हुए हिमाचल ने छह माह के भीतर राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज कर एक करोड़ का आंकड़ा पार किया है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस उपलब्धि का श्रेय पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के राज्य सरकार के अथक प्रयासों को दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार शुरू से ही प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे पर्यटकों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है। जून, 2023 तक राज्य में आगंतुकों की कुल संख्या एक करोड़ छह हजार का आंकड़ा पार कर चुकी है, जिनमें 99,78,504 देशी और 28,239 विदेशी पर्यटक शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य में हर मौसम पर्यटन के लिए अनुकूल होने से वर्षभर पर्यटक हिमाचल पहुंचते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश ने पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया है। दुनियाभर के यात्री यहां की मनमोहक वादियों का आनन्द लेने लाखों की संख्या में हर वर्ष यहां आते हैं। प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के आंकड़े और इसमें लगातार दर्ज की जा रही वृद्धि पर्यटन संबंधी अधोसंरचना के विकास में सरकार के अथक प्रयासों को भी बयां करती है। वर्ष 2018 में लगभग 87 लाख देशी और 2 लाख विदेशी पर्यटक हिमाचल आए, वहीं वर्ष 2019 में 88.57 लाख देशी और लगभग 2 लाख विदेशी पर्यटक यहां पहुंचे। वर्ष 2020 में 21.63 लाख देशी और 41,803 विदेशी पर्यटक यहां आए, वर्ष 2021 में 19.73 लाख देशी और 2843 विदेशी पर्यटक प्रदेश भ्रमण पर पहुंचे। वर्ष 2022 में 86.35 लाख देशी पर्यटक यहां भ्रमण पर जाए जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 7032 रही।

प्रदेश सरकार हिमाचल में पर्यटन की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए साहसिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक पर्यटन अधोसंरचना को विकसित करने के दृढ़ प्रयास कर रही है और भविष्य में सालाना पांच करोड़ पर्यटकों के स्वागत का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए, राज्य सरकार जिला कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित कर रही है। इसके लिए सरकार ने 3000 करोड़ रुपये की एक महत्त्वाकांक्षी योजना भी तैयार की है। इस योजना के तहत सड़क और हवाई संपर्क सुविधाओं को सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। पर्यटन संबंधी अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार और सभी जिलों में हेलीपोर्ट स्थापित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की पर्यटन दृष्टि के केंद्र में इसकी निरंतरता निहित है और राज्य सरकार का लक्ष्य सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त वातावरण सुनिश्चित करते हुए हरित पर्यटन को बढ़ावा देना है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। पर्यटन क्षेत्र प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ है और इसके माध्यम से प्रदेश के हजारों परिवारों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से आजीविका प्राप्त होती है।

बुनियादी ढांचे के विकास और अपनी प्राकृतिक सुंदरता को और बेहतर ढ़ंग से प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नई प्रतिबद्धता के साथ, हिमाचल प्रदेश एक उत्कृष्ट वैश्विक पर्यटन स्थल बनने की राह पर अग्रसर है। दूर-दूर से यात्री यहां के मनमोहक नजारों का आनन्द लेने आते हैं, जिससे प्रदेश के पर्यटन उद्योग का भविष्य पहले से कहीं अधिक उज्ज्वल नजर आता है।

चम्बा में 82.14 करोड़ की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास

शिमला/शैल। उन्होंने 4.55 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित राजकीय सहस्राब्दी बहुतकनीकी महाविद्यालय के छात्रावास, चील बंगला में 92.98 लाख रुपये से निर्मित मुख्यमंत्री लोक भवन,

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनीखेत के 1.99 करोड़ रुपये से निर्मित ओपीडी खण्ड, नागरिक अस्पताल चुवाड़ी के 1.48 करोड़ रुपये से निर्मित कर्मचारियों के आवासों, 3.26 करोड़ रुपये से निर्मित राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त के कार्यालय भवन और राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधी विभाग चम्बा के अतिरिक्त अधीक्षक के कार्यालय, पंडित जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में 39 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एमबीबीएस विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, आवासीय परिसर व नर्सों के लिए छात्रावास का लोकार्पण किया।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने 2.11 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले कांदू-पंजोह सम्पर्क मार्ग (अप्पर पंजोह), 2.28 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले कांदू-पंजोह (लोअर पंजोह) सम्पर्क मार्ग, 1.01 करोड़ रुपये की लागत से खजियार में बनने वाले पशु चिकित्सालय भवन, चम्बा शहर के लिए 12.44 करोड़ रुपये की लागत की पेयजल योजना के सुधारीकरण और विस्तार कार्य, पंडित जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा के लिए 11.27 करोड़ रुपये की लागत की उठाऊ पेयजल योजना और मंगला में 1.80 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली जल और स्वच्छता केंद्र का शिलान्यास किया।

प्रदेश में बड़ा चिड़ियाघर स्थापित करने को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दी पूर्व स्वीकृति

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार के अथक प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में एक बड़े चिड़ियाघर की स्थापना के लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सी.जेड.ए.) से पूर्व स्वीकृति प्राप्त हो गई है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत बड़े चिड़ियाघर की स्थापना एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगा।

उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा के बनखण्डी में बड़े चिड़ियाघर की स्थापना प्रदेश सरकार की महत्त्वाकांक्षी परियोजना है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति से सरकार की इस परियोजना को मूर्तरूप प्रदान करने में बल मिलेगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश ने कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है और राज्य सरकार के प्रयासों को साकार करने में यह परियोजना मील पत्थर साबित होगी।

प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन बल प्रमुख) राजीव कुमार ने बताया कि केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा जून, 2023 को बुलाई गई 108वीं तकनीकी समिति की बैठक के दौरान बड़े चिड़ियाघर की स्थापना के प्रस्ताव का गहन मूल्यांकन करने के उपरान्त, समिति ने इसकी स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान करने की सिफारिश की है।

उन्होंने कहा कि इस चिड़ियाघर में विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान कर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों के मूल वन्य जीवों को रखा जाएगा। यह चिड़ियाघर पर्यटकों के लिए वन्य जीवों से जुड़ने, उनके प्राकृतिक व्यवहार और पारिस्थितिक महत्त्व की समझ विकसित करने के केन्द्र के रूप में कार्य करेगा। यह चिड़ियाघर वन्य जीव संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करेगा।

प्रदेश की विद्यालय नेतृत्व अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि विद्यालय नेतृत्व अकादमी हिमाचल प्रदेश को विद्यालय नेतृत्व के क्षेत्र में किये गये बेहतरीन व नवोन्मेषी कार्यो के लिए

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रदान किया गया। उन्होंने राज्य परियोजना निदेशालय को बधाई देते हुये कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए दृढ़ता से प्रयास कर रही है।

विद्यालय नेतृत्व अकादमी हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रमुखों के नेतृत्व क्षमता विकास करने के लिए प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष लगभग 2200 विद्यालय प्रमुखों को प्रशिक्षण के लिए 2.4 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी। पहले चरण में लगभग 2200 विद्यालय प्रमुखों को कार्यालय प्रक्रिया एवं वित्तीय प्रबंधन प्रशिक्षण, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके उपरांत स्कूल नेतृत्व राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली के सहयोग से विद्यालय नेतृत्व अकादमी द्वारा प्रदेश के 2000 विद्यालय प्रमुखों को नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने कहा कि प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा विद्यालय नेतृत्व अकादमी हिमाचल प्रदेश विभिन्न स्कूल प्रमुखों से केस स्टडी के रूप में एकत्रित की गई सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदेश स्तर पर प्रचारित एवं कार्यान्वित करने का कार्य करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में और गुणात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को व्यावहारिक बनाया गया है। इन कार्यक्रमों में योजनाबद्ध अनुक्रम और गतिविधियों को संयोजन सुनिश्चित बनाया जा रहा है।

विश्व बैंक ने आपदा राहत कार्यों के दक्ष संचालन के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व को सराहा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण हाल ही में हुई आपदा से निपटने के लिए प्रभावी प्रबंधन में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा किए गए अनुकरणीय प्रयासों की विश्व बैंक ने सराहना की है। भारत में बैंक के कंट्री डायरेक्टर अगस्ते तानो कौमे ने एक पत्र के माध्यम से प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न हुई स्थितियों से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए मुख्यमंत्री की असाधारण नेतृत्व क्षमताओं की सराहना की। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से निगरानी और प्रदेश से पर्यटकों की सकुशल वापसी सुनिश्चित करने तथा त्वरित कदम उठाने के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हाल ही में आपदा के कारण प्रदेश को भारी क्षति पहुंची है और इस की भरपाई करने में कम से कम एक वर्ष लगेगा। उन्होंने कहा कि अब तक 8000 करोड़ रुपये से अधिक नुकसान का अनुमान है और सड़क, पुल, बिजली और पानी की आपूर्ति जैसी मूलभूत सुविधाओं की स्थायी बहाली राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यह राज्य और प्रदेशवासियों के लिए परीक्षा की घड़ी है और विश्व बैंक का सहयोग यहां पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

विश्व बैंक ने प्रदेश को नुकसान के व्यापक आकलन और पूर्ण सहायता प्रदान करने की पेशकश की है। विश्व बैंक ने सड़क, बिजली, जलापूर्ति, आवास, सार्वजनिक भवन, सिंचाई बुनियादी ढांचे, कृषि, बागवानी, पशुधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नुकसान के सटीक आंकलन के लिए वैश्विक आपदा न्यूनीकरण और पुनर्प्राप्ति सुविधा (जीएफडीआरआर) के सहयोग से मूल्यांकन का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित मूल्यांकन का उद्देश्य पुनर्वास प्रक्रिया में सहायता और पुनर्निर्माण प्रयासों को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। इसके अलावा, विश्व बैंक, पुनर्वास और पुनर्निर्माण, आपदा जोखिम प्रबंधन, अधोसंरचना निर्माण, पारिस्थितिकी तंत्र और आजीविका के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए भी तैयार है।

मुख्यमंत्री ने इस चुनौतीपूर्ण समय में उदारतापूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए विश्व बैंक का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विश्वास जताया कि विश्व बैंक की सहायता से राज्य पुनर्वास और पुनर्निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेगा और भविष्य में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए सुदृढ़ प्रणाली विकसित करने की दिशा में कार्य करेगा।

वेदान्त कोई पाप नही जानता वो केवल त्रुटि जानता है। किसी की निंदा न करें यही दुनिया है ..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

आपदा और आर्थिक संकट

कांग्रेस की सुक्खु सरकार को सत्ता संभाले लगभग नौ महीने का समय पूरा हो रहा है। सरकार नौ महीनों के कार्यकाल में मंहगाई, बेरोजगारी पर तो कुछ नही कर पायी। क्योंकि सरकार ने सत्ता संभालते ही पिछली सरकार के खिलाफ वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाना और कर्ज तथा देनदारियों के आंकड़े जारी कर इस आरोप को सही ठहराने का प्रयास शुरू किया। लेकिन इस सरकार ने जिस तरह मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां की और कैबिनेट दर्जा देते हुये अन्य नियुक्तियां की वह सरकार की कथनी और करनी के अन्तर को सीधे स्पष्ट कर देता है। इस सरकार पर आज सबसे बड़ा आरोप यह लगा है कि यह मित्रों दोस्तों की सरकार है। यह सही है कि कांग्रेस को जनता ने बहुमत दिया है तब उसकी सरकार बनी है। विपक्ष लगातार सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठा रहा है। आज हर सवाल को व्यवस्था परिवर्तन का नाम लेकर टाला जा रहा है। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन से सरकार का अभिप्राय क्या है इसे सरकार का कोई भी आदमी स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। सरकार बनने के बाद प्रशासन को लेकर सरकार का जो नजरिया सामने आया है उसके परिणाम बहुत दूरगामी हो सकते हैं। क्योंकि जिस विपक्ष को मुद्दे तलाशने में समय लगता था उसे इस सरकार ने पहले दिन से ही मुद्दों से लैस कर दिया है।

पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में भारी बारिश के कारण जिस तरह का नुकसान हुआ है सरकार की ओर से उसका आकलन आठ हजार करोड़ आंका गया है। इस नाजुक वित्तीय स्थिति दौर में आपदा के प्रकोप के कारण प्रदेश पर आर्थिक संकट और बढ़ गया है। आज प्रदेश के हर कोने से रोज बादल फटने, सड़के धसने, लोगों की जानमाल के नुकसान की खबरें जिस तरह से लगातार आ रही है उससे निपटने के लिये सरकार भरसक प्रयास कर रही है। लेकिन सरकार का यह आरोप है कि हमें केंद्र से जितनी सहायता मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल पा रही है। जिसके कारण राहत और बचाव कार्यो में बाधाएं आ रही हैं। क्योंकि जिस तरह का नुकसान प्रदेश में हुआ है उसको देखते हुये लगभग 362 करोड़ का राहत पैकेज प्रदेश के लिये अपर्याप्त है। इस समय प्रदेश को तत्काल दस हजार करोड़ की आर्थिक सहायता एक राहत पैकेज के रूप में केन्द्र सरकार मिलनी चाहिये है।

इस समय प्रदेश में सेब सीजन चल रहा है और अधिकांश रास्ते भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुये हैं जिसकी वजह से सेब धुलाई में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि सरकार इस पर भी युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है लेकिन फिर भी सभी रास्तों को खोलने में पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है। यदि समय रहते सभी रास्ते नहीं खोले गये तो सेब की फसल का नुकसान भी किसानों/बागवानों को झेलना पड़ सकता है। एक विडियो में सोशल मीडिया पर सेब की क्रेटें नाले में फैकते हुये दिखाया गया है जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाजपा इस पर भी राजनीति कर रही है जबकि स्थिति यह नहीं है इस समय सौ प्रतिशत सेब मार्केट में पहुंच रहा है और पचास करोड़ इस कार्य के लिये निर्धारित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सेब सही समय पर मंडियों तक पहुचाया जायेगा।

प्रदेश के किन्नौर, कुल्लू-मनाली मंडी और सोलन में जिस तरह की त्रासदी देखने को मिली है उसको पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ भी एक कारण माना जा सकता है। इस समय प्रदेश में विपक्ष और सत्तापक्ष को एकजुट होकर इस त्रासदी से निपटने के लिये हर संभव प्रयास की जरूरत है। केंद्र से अधिक से अधिक सहायता मुहैया करवाने के लिये सामूहिक रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। हिमाचल की जनता को राहत पहुंचाने के लिये एकजुटता से कार्य करने की जरूरत है। जबकि इस समय पक्ष-विपक्ष दोनों एक दूसरे की कटाक्ष करने में लगे हैं जिसका असर आम जनता पर पढ़ रहा है। जबकि आम जनता इस समय महंगाई बेरोजगारी से पहले ही जूझ रही है। सरकार इस आपदा में केन्द्र के सहयोग से प्रदेश की जनता को किस तरह राहत दिला पाती है यह तो आने वाला समय ही बतायेगा।

लोकसभा में वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2023 पारित

केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्दर यादव ने संयुक्त संसदीय समिति द्वारा भेजे गये वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा में विचार के लिये पेश किया और उसके बाद सदन से इसे पारित करने का आग्रह किया। संदस्यों की चर्चा और विचार के बाद लोकसभा ने विधेयक को पारित कर दिया।

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 देश में वन संरक्षण के लिये एक महत्वपूर्ण केन्द्रीय कानून है। कानून के तहत प्रावधान है कि आरक्षित वनों को अनारक्षित करना, वन भूमि का गैर-वन कार्यो के लिये उपयोग, वन भूमि को पट्टे पर अथवा अन्य तरीके से निजी इकाईयों को देना और प्राकृतिक रूप से उगे पेड़ों का पुन:वनीकरण के लिये सफाया करने के लिये केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक है।

विभिन्न प्रकार की भूमि के मामले में कानून की उपयोगिता भी बदलती रही है, जैसे कि शुरूआत में इस कानून के प्रावधान केवल अधिसूचित वन भूमि पर ही लागू होते थे। उसके बाद 12.12. 1996 के न्यायालय निर्णय के बाद कानून के प्रावधान राजस्व वन भूमि अथवा ऐसी भूमि जो कि सरकारी रिकार्ड में वन भूमि के तौर पर दर्ज है और उन क्षेत्रों में भी जो कि उनके शब्दकोष में वन की तरह दिखते हैं, उनमें भी लागू होने लगे। इस प्रकार की काफी भूमि को सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी से पहले ही मकान, संस्थान और सड़क आदि बनाने जैसे गैर-वन उपयोग के काम लाया जा चुका था। विशेष तौर से सरकारी रिकार्ड में दर्ज वन भूमि, निजी वन भूमि, पौधारोपण वाली भूमि आदि मामले में कानून लागू करने के मामले में प्रावधानों की अलग अलग परिभाषायें सामने आने से यह स्थिति बनी।

यह देखा गया है कि ऐसी आशंका रही कि व्यक्तियों और संगठनों की भूमि पर पौधारोपण से वन संरक्षण कानून (एफसीए) के प्रावधान लागू हो सकते है, वन भूमि के बाहर वनीकरण और पौधारोपण कार्य को वांछित बल नहीं मिल पाया। इसके कारण सीओ 2 के 2.5 से 3.0 टन के बार कार्बन उत्सर्जन में अतिरिक्त कमी लाने के राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्ध योगदान लक्ष्य को पूरा करने में जरूरी हरित कवर के विस्तार में बाधा बन रही थी। इसके अलावा विशेषतौर से अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र, वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी), नियंत्रण रेखा (एलओसी), और अधिसूचित एलडब्ल्यूई क्षेत्रों जैसे इलाकों में राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है ताकि व्यापक सुरक्षा अवसंरचना का विकास सुनिश्चित किया जा सके। इसी प्रकार छोटे प्रतिष्ठानों, सड़कों/रेल लाइनों के साथ बने मकानों में रहने वालों के लिये मुख्य सड़क तक संपर्क मार्ग और दूसरी सार्वजनिक सुविधायें उपलब्ध कराने की भी आवश्यकता होती है।

कानून लागू होने के बाद समय के साथ राष्ट्रीय के साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पारिस्थितिकीय, सामाजिक और पर्यावरण विकास से जुड़ी नई चुनौतियां उभरकर सामने आने लगीं। उदाहरण के तौर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना, वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करना, वन कार्बन स्टॉक को बरकरार रखना अथवा उसका विस्तार करना आदि। इसलिये देश के वनों और उनकी जैव-विविधता को संरक्षित रखने की परंपरा को आगे बढ़ाने तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिये यह जरूरी हो गया कि इन सभी मुद्दों को कानून के दायरे में लाया जाये।

इसलिये, देश की एनडीसी, कार्बन निरपेक्षता जैसी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पतिबद्धताओं को हासिल करने, विभिन्न प्रकार की भूमि के मामले में संशयों को दूर करने और कानून की व्यवहारिकता को लेकर स्पष्टता लाने, गैर-वन भूमि में पौधारोपण को बढ़ावा देने, वनों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिये कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया गया और यही कारण है कि केन्द्र सरकार ने वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2023 को आगे बढ़ाया।

लोकसभा में पारित संशोधन में कानून का दायरा व्यापक बनाने के लिये एक प्रस्तावना को शामिल किया गया है। इसके साथ ही एक्ट का नाम बदलकर वन (संरक्षण एवं सवर्धन) अधिनियम, 1980 किया गया है ताकि इसके प्रावधानों की क्षमतायें इसके नाम में परिलक्षित हों, संशयों को दूर करने के लिये विभिन्न प्रकार की भूमि में कानून लागू होने का दायरा स्पष्ट किया गया है।

इन संशोधनों के साथ ही विधेयक में वन भूमि के उपयोग को लेकर कुछ छूट दिये जाने के प्रस्तावों को भी लोकसभा से मंजूरी दी गई है। इनमें अंतरराष्ट्रीय सीमा, वास्तविक नियंत्रण रेखा, नियंत्रण रेखा से 100 किलोमीटर के दायरे में स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी रणनीतिक परियोजनाओं को छूट शामिल है। इसके अलावा सड़कों और रेलवे लाइनों के साथ बने मकानों और प्रतिष्ठानों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिये 0.10 हेक्टेयर वन भूमि उपलब्ध कराना प्रस्तावित है, सुरक्षा संबंधी अवसंरचना के लिये 10 हेक्टेयर तक भूमि और वाम चरमपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सार्वजनिक सुविधा परियोजनाओं के लिये पांच हेक्टेयर तक भूमि देने का प्रावधान है। ये सभी छूट और रियायतें जो विधेयक में दी गई हैं उनके साथ कुछ शर्तें और परिस्थितियां जोड़ी गई हैं जैसे कि बदले में क्षतिपूर्ति वनीकरण, न्यूनीकरण योजना आदि, जैसा केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा। निजी इकाइयों को वन भूमि पट्टे पर देने के मामले में मूल कानून के मौजूदा प्रावधानों में समानता लाने के लिये प्रावधान का विस्तार सरकारी कंपनियों के लिये भी कर दिया गया है। विधेयक में कुछ नई गतिविधियों को भी शामिल किया गया है, जैसे कि अग्रिम क्षेत्र में तैनात वनकर्मियों के लिये जरूरी सुविधायें, वन संरक्षण के लिये वानिकी गतिविधियों के तहत इको टूरिज्म, चिड़ियाघर और सफारी जैसी गतिविधियां चलाना। इस बात को ध्यान में रखते हुये कि ऐसी गतिविधियां अस्थायी प्रकृति की होती हैं और इनसे भूमि उपयोग में कोई वास्तविक बदलाव नहीं आता है, वन क्षेत्र में सर्वेक्षण और जांच को गैर-वानिकी गतिविधि नहीं माना जायेगा। विधेयक की धारा 6 केन्द्र सरकार को अधिकार देती है कि वह कानून के उचित क्रियान्वयन के लिये निर्देश जारी कर सकती है, इसे भी लोकसभा ने पारित कर दिया।

कानून की व्यवहारिकता के मामले में संशयों को दूर करने से प्राधिकरण द्वारा वन भूमि का गैर/2वानिकी कार्यो के लिये इस्तेमाल से जुड़े प्रस्तावों के मामले में निर्णय लेने की प्रक्रिया बेहतर होगी। सरकारी रिकार्ड में दर्ज ऐसी वन भूमि जिसे सक्षम प्राधिकरण के आदेश से 12.12.1996 से पहले ही गैर-वानिकी इस्तेमाल में डाल दिया गया है, उसका राज्य के साथ ही केन्द्र सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं का लाभ उठाने के लिये इस्तेमाल में लाया जा सकेगा।

विधेयक में फ्रंटलाइन क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं को खडा करने जैसे वानिकी गतिविधियों को शामिल करने से वन क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा की स्थिति में त्वरित कारवाई की जा सकेगी। कानून में उपयुक्त प्रावधानों की जरूरत के चलते वन क्षेत्र में मूलभूत अवसंरचना का सृजन मुश्किल रहा है जिससे कि वानिकी परिचालन, पुनर्सृजन गतिविधियां, निगरानी और सुपरविजन, वन आग से बचाव जैसे उपाय किये जा सकें। इन प्रावधानों से उत्पादकता बढ़ाने के लिये वनों का बेहतर प्रबंधन का रास्ता साफ होगा। इससे इकोसिस्टम, सामान और सेवाओं का प्रवाह भी बेहतर होगा जो कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और वन संरक्षण में मददगार साबित होगा।

प्राणी उद्यान और सफारी जैसी गतिविधियों का स्वामित्व सरकार का होगा और इन्हें संरक्षित क्षेत्र के बाहर केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण द्वारा अनुमति प्राप्त योजना के अनुरूप स्थापित किया जायेगा। इसी प्रकार वन क्षेत्र में स्वीकृत कार्य योजना अथवा वन्यजीव प्रबंधन योजना अथवा टाइगर संरक्षण योजना के मुताबिक इकोटूरिज्म गतिविधियां होंगी। इस प्रकार की सुविधायें, वन भूमि और वन्यजीव के संरक्षण और सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाने के साथ ही स्थानीय समुदायों की आजीविका बढ़ाने में सहयोग करेंगी और उन्हें विकास की मुख्यधारा के साथ जुड़ने का अवसर मिलेगा।

लोकसभा द्वारा पारित इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधन से वन संरक्षण और संवर्धन के लिये कानून की भावना अधिक स्पष्ट होगी और उसमें नयापन आयेगा। ये संशोधन वन उत्पादकता बढ़ाने, वन क्षेत्र से बाहर पौधारोपण बढ़ाने, स्थानीय समुदायों की आजीविका से जुड़ी आकांक्षाओं को व्यवस्थित करने के साथ ही नियामकीय प्रणाली को मजबूत बनायेंगे।

कारगिल विजय के अवसर पर शहीदों को नमन

अंग्रेजी में कहा है "Eternal Vigilance is the price of liberty" सतत सतर्कता ही स्वतन्त्रता का मूल्य है अर्थात स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये सदैव चौकन्ना रहना पड़ता है। यही कारण है कि हमारी सेनायें, हमारी स्वतन्त्रता, हमारे जानमाल और हमारे राष्ट्र की एक एक इंच के लिये चौबीसों घण्टे सजग, सचेत और सतर्क रहती है ।

स्वतन्त्रता मिलने के तुरन्त बाद जब पाकिस्तान ने कबायलियों के भेष में काश्मीर में अपनी सेना की घुसपैठ करवाई थी तब भी भारत के वीर सैनिकों ने देश की रक्षा की। पाकिस्तानियों के दांत खट्टे करते हुये पूरे का पूरा काश्मीर अपने कब्जे में लेने के लिये हमारे वीर सैनिक आगे बढ़ रहे थे तभी तत्कालीन प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू जी ने युद्धविराम की घोषणा कर दी और काश्मीर की समस्या देश के लिये खड़ी कर दी।

1962 में भी वीर सैनिकों ने बिना आधुनिक हथियारों के भी चीन की सेना का जबरदस्त मुकाबला किया पर राजनीतिक नेतृत्व ने फिर हथियार डाल दिये। 1965 में भी वीर सैनिकों ने जबरदस्त विजय प्राप्त की। युद्ध क्षेत्र में वीर सैनिकों ने अपनी वीरता और कुर्बानी से जो कुछ जीता था उसे ताशकन्द समझौते के अन्तर्गत बातचीत के टेबल पर खो दिया, केवल जीता हुआ क्षेत्र ही नहीं खोया हमने अपने प्रधानमन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भी खो दिया ।

1971 के युद्ध के परिणामस्वरूप वीर सैनिकों ने अपनी वीरता और बलिदान से पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिये, बंगला देश एक नया राष्ट्र बन गया। हमारे सैनिकों ने इकानवे हजार से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबन्दी बना लिया। राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाई होती तो पूरे का पूरा काश्मीर हमारा हो सकता था परन्तु जो सैनिकों ने जीता वो शिमला समझौते के

अन्तर्गत प्रधानमन्त्री श्रीमति इन्दिरा गान्धी ने बातचीत के टेबल पर खो दिया।

इस सारे इतिहास को देखते हुये हम कह सकते हैं कि श्री अटल बिहारी वाजपेई जी के रूप में पहली बार देश को एक सशक्त नेतृत्व मिला जिसने जब आवश्यकता थी तो आण्विक बम धमाके भी किये और वीर सैनिकों की भावना का सम्मान करते हुये अन्तर्राष्ट्रीय दवाब के बावजूद युद्धविराम की घोषणा तब तक नहीं की जब तक कारगिल का अपना सारा क्षेत्र पाकिस्तान के घुसपैठियों से खाली नहीं करवा लिया ।

इतिहास में पहली बार 2 जुलाई, 1999 को प्रधानमन्त्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वयं सैनिकों की पीठ थपथपाने के लिये युद्ध के मोर्चे पर गये। देश में प्रधानमन्त्री की इस पहल को लेकर जबरदस्त उत्साह का संचार हुआ। इस संघर्ष में शहीद हुये सैनिकों के पार्थिव शरीरों को पहली बार हवाई जहाज या हैलिकॉप्टर के माध्यम से उनके परिवारजनों तक पहुंचाया गया, राजकीय सम्मान के साथ उनका अन्तिम संस्कार किया गया। केन्द्र और प्रदेश सरकारों ने शहीद के परिवारों की सहायता के लिये हर सम्भव सहायता प्रदान करने का प्रयास किया।

उस समय हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार थी। श्री नरेन्द्र मोदी हिमाचल के प्रभारी थे। हमने भी आपस में विचार विमर्श करके सैनिकों तक खाद्य सामग्री (पका पकाया भोजन) और दैनिक उपयोग के वस्त्र आदि लिये और हैलीकॉप्टर भर कर 4 जुलाई को श्रीनगर पहुंच गये। 5 जुलाई प्रात:काल हम श्रीनगर से कारगिल के लिये उड़े । जब हम कारगिल उतर रहे थे तब भी पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो रही थी। सेना के वरिष्ठ अधिकारी ब्रिगेडियर नन्द्राजोग के नेतृत्व में हमें जानकारियां दे रहे थे। भूमिगत मोर्चे में उपस्थित सैनिकों को सामान बांटा और बाकि सामान उन सैनिकों के पास दे दिया ताकि मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे सैनिकों तक भी पहुंचाया जा सके ।

सांयकाल श्रीनगर वापिस पहुंचकर हम सैनिक अस्पताल गये, घायल सैनिकों का कुशलक्षेम पूछा और उन्हें सामान बांटा। एक जवान बिस्तर पर लेटा हुआ था उसने सामान पकड़ा नहीं, हमने सामान साईड टेबल पर रख दिया यह सोचकर कि शायद घायल होने के कारण यह नाराज़ होगा। ज्यूं ही हम मुड़े तो एक डाक्टर दौड़े दौड़े आया और हमें बताया कि माईन ब्लास्ट में उस जवान के दोनों हाथ और दोनों पैर उड़ गये थे। हम वापिस मुड़े और उसके सिर पर हाथ रखकर पूछा, ''बहुत दर्द होता होगा'', उसने कहा ''पहले था, कल शाम से नहीं हो रहा है'' । हमने पूछा क्या कोई दर्द निवारक दवाई ली या टीका लगा? उसने कहा ''नहीं, कल शाम (4 जुलाई को) टाईगर हिल वापस ले लिया मेरा दर्द खत्म हो गया,'' यह सुनकर हम सब भावुक हो गये, देश भक्ति के इस जजबे को सलाम ।

हिमाचल के 52 जवान शहीद हुये थे, मैं सभी के घर गया, हर शहीद परिवार की दिल को छू लेने वाली बातें सुनी। पालमपुर में कारगिल युद्व के प्रथम शहीद कै० सौरभ कालिया की माता जी अपने पास बैठी शहीद परमवीर चक्र कै० विक्रम बत्रा की माता श्रीमति बत्रा को ढांढस बंधा रही थीं। एक मां जिसने अपना बेटा खोया था वह दूसरी मां, जिसने अभी अभी अपना बेटा खोया था, उसे सांत्वना दे रही थी।

बिलासपुर के वीर सैनिक संजय कुमार को परमवीर चक्र मिला था। उसी जिले में एक जवान मंगल सिंह भी शहीद हुआ था। शहीद मंगल सिंह की मां, श्रीमति कौशल्या देवी ने डेढ किलो मीटर तक शहीद बेटे मंगल सिंह की अर्थी को कंधा दिया। पालमपुर के लम्बापट गांव के हवलदार रोशन लाल का जवान बेटा राकेश कुमार शादी के 15 दिन के अन्दर ही शहीद हो गया था। रोशन लाल जी को पछतावा था कि 1965 के युद्ध में जिस मोर्चे पर वह तैनात था उसी मोर्चे पर उसका बेटा 1999 में शहीद हो गया।

हमीरपुर जिले के बमसन चुनाव क्षेत्र के शहीद राज कुमार के पिता हवलदार खजान सिंह भी पूर्व सैनिक थे। जब मैं उनके घर पहुंचा तो इससे पहले कि मैं कुछ कहता, उन्होंने कहा, ''धूमल साहब, बेटे तो पैदा ही इसलिये किये जाते हैं कि पढ़ें, लिखें और जवान होकर फौज में भर्ती होकर देश की रक्षा करें और जरूरत हो तो अपना बलिदान दें, आप दिल्ली जा रहे हैं तो वाजपेयी जी को कहना कि सैनिकों की कमी हो तो 82 वर्ष का हवलदार खजान सिंह आज भी हथियार उठाकर देश की रक्षा करने के लिये तैयार है''। यह शब्द सुनकर वहां उपस्थित हर कोई उनकी भावना की प्रशन्सा करने लगा। बाद में जब मैं अटल जी को मिला और उन्हें यह सारी घटनायें सुनाई तो वे भी बड़े भावुक हुये।

जब तक भारत मां के ऐसे वीर सपूत देश के लिये हर बलिदान देने के लिये तैयार होंगे तब तक यह देश सुरक्षित है। मातृभूमि के लिये समर्पण की भावना हर नागरिक में हो, शहीदों का सम्मान पूरा राष्ट्र करे तो स्वतन्त्रता और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित की जा सकती हैं। कारगिल विजय के शुभ अवसर पर स्वतन्त्रता आंदोलन से लेकर जितने भी युद्ध हुये उनमें शहीद हुये सभी शहीदों को कोटि कोटि नमन।

प्रेम कुमार धूमल
पूर्व मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश

ग्लेशियर पीछे हटने से लद्दाख के पार्काचिक ग्लेशियर में तीन नई झीलें बन सकती हैं

एक नए अध्ययन से पता चला है कि 'सबग्लेशियल ओवर डीपनिंग' के कारण लद्दाख में पार्काचिक ग्लेशियर में अलग-अलग आकार की तीन झीलें बनने की संभावना है। जो ग्लेशियरों द्वारा नष्ट हुयै बेसिन और घाटियों की एक विशेषता है ।

इनकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुये और क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन के सबसे प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे संकेतक के रूप मे हिमालय के ग्लेशियरों पर एक सदी से भी अधिक समय से क्षेत्र-आधारित जांच से लेकर आज तक के अत्याधुनिक रिमोट सेंसिंग दृष्टिकोण तक कई अध्ययन किये गये हैं। इसके विपरीत, हिमालय के ग्लेशियरों की बर्फ की मोटाई और उसके वितरण को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि, रिमोट सेंसिंग जैसे मौजूदा दृष्टिकोण सीधे ग्लेशियर की मोटाई का अनुमान नहीं लगा सकते हैं लेकिन जमीन भेदने वाले रडार के आधार पर, भारतीय हिमालय में ग्लेशियर की मोटाई पर बहुत कम अध्ययन किये गये हैं।

भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के तहत एक स्वायत्त संस्थान, वाडिया इंस्टीटयूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन किया है, जिसमें पार्काचिक ग्लेशियर, सुरु नदी घाटी, लद्दाख हिमालय, भारत के रूपात्मक और गतिशील परिवर्तनों का वर्णन किया गया है। ये निष्कर्ष 'एनल्स ऑफ ग्लेशियोलॉजी' पत्रिका में प्रकाशित हुए थे।

डॉ. मनीष मेहता के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने मीडियम-रिज़ॉल्यूशन सैटेलाइट इमेजिंग, 1971-2021 के बीच कोरोना केएच-4 और सेंटिनल-2ए और 2015 और 2021 के बीच क्षेत्र सर्वेक्षण का उपयोग किया। इसके साथ ही उन्होंने लामिना फ्लो-आधारित हिमालय ग्लेशियर थिकनेस मैपर का उपयोग किया और अभी हाल के मार्जिन उतार-चढ़ाव, सतह बर्फ वेग, बर्फ की मोटाई के परिणाम प्रदान किये। इसके अलावा ग्लेशियर-बेड की अधिक गहराई की भी पहचान की गई। इस रिमोट सेंसिंग डेटा से पता चलता है कि कुल मिलाकर 1971 और 2021 के बीच ग्लेशियर पीछे हटे हैं। रिमोट सेंसिंग डेटा से पता चलता है कि 1971 और 1999 के बीच ग्लेशियर लगभग 2 एमए-1 की औसत से पीछे हटे हैं जबकि 1999 और 2021 के बीच ग्लेशियर के पीछे हटने की औसतन दर लगभग 12 एमए-1 रही। इसी तरह, दिन-प्रतिदिन की निगरानी के माध्यम से दर्ज किये गये क्षेत्र अवलोकनों से पता चलता है कि 2015 से 2021 के बीच 20.5 एमए -1 की उच्च दर से ग्लेशियर पीछे हटा हैं। क्षेत्र और उपग्रह-आधारित दोनों अवलोकनों से संकेत मिलता है कि ग्लेशियर मार्जिन की शांत प्रकृति और प्रोग्लेशियल झील के विकास ने पार्काचिक ग्लेशियर के पीछे हटने में बढ़ोतरी की है।

इसके अलावा, लैंडसैट डेटा सरफेस पर सीओएसआई-कोर का उपयोग करके अनुमानित बर्फ सतह का वेग 1999-2000 में निचले एब्लेशन ज़ोन में लगभग 45 एमए-1 और 2020-2021 में 32 एमए-1 पाया गया। इसमें 28 प्रतिशत की कमी रही। इसके अलावा, ग्लेशियर की अधिकतम मोटाई संचय क्षेत्र में लगभग 441 मीटर होने का अनुमान है, जबकि ग्लेशियर टोंग के लिए, यह लगभग 44 मीटर है। सिमुलेशन परिणाम बताते हैं कि यदि ग्लेशियर का समान दर से पीछे हटना जारी रहता है, तो सबग्लेशियल के अधिक गहरा होने के कारण अलग-अलग आकार की तीन झीलें बन सकती हैं।

चित्र 1. 2015, 2017, 2019 और 2021 से फ़ील्ड तस्वीरें , ग्लेशियर के सामने और निचले एब्लेशन ज़ोन का मनोरम दृश्य दिखाती हैं जो तीन भागों में विभाजित था, यानी बाएं, केंद्र और दाएं। (ए) यह ढलान टूटने वाले क्षेत्र, पार्श्व मोरेन , 2015 और 2021 के बीच देखे गए परिवर्तनों को इंगित करने वाले लाल तीर और ललाट के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में लिए गए जमीनी नियंत्रण बिंदुओं को दर्शाने वाले वृत्त भी दिखाता है। निगरानी (ए) ग्लेशियर टर्मिनस के बाई ओर बनी प्रोग्लेशियल झील का स्थान दिखा रहा है।

वन विस्तार योजना के माध्यम से राज्य में हरित आवरण को बढ़ावा दिया जाएगा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना आरंभ करने पर निर्णय लिया गया। इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी ज़िलों में स्थित बंजर चोटियों एवं पहाड़ियों को शामिल करते हुए राज्य में हरित आवरण

को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त तीखी ढलानों में भूक्षरण इत्यादि पर भी रोक लगाई जा सकेगी। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रधान मुख्य अरण्यपाल, वन सह वन बल प्रमुख की अध्यक्षता में एक कार्यबल का भी गठन किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि चयनित क्षेत्रों का सात वर्षों तक रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा और पौधरोपण तथा रखरखाव का यह कार्य आउटसोर्स आधार पर किया जाएगा, जिसमें स्थानीय निवासियों को भी शामिल किया जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने इंदिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला में ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी मेडिसन विभाग को कार्यशील करने तथा रोगियों की सुविधा के दृष्टिगत नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टॉफ के अतिरिक्त 136 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया। इससे संबंधित सभी छह विभागों न्यूरोसर्जरी, रेडियोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, अनेस्थिसिया, ऑर्थोपेडिक और जनरल सर्जरी में तीन चरणों में चौबीसों घण्टे सेवाएं सुनिश्चित हो सकेंगी।

बैठक में राज्य के नगर परिषदों और नगर पंचायतों में विभिन्न श्रेणियों के 87 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के दृष्टिगत राजस्व विभाग में परियोजना प्रबन्धन इकाई की स्थापना तथा इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के धर्मपुर एवं पधर में नए स्थापित सिविल कोर्ट तथा नूरपुर, देहरा, पालमपुर, पावंटा साहिब और रोहडू में नव स्थापित अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायालय में सहायक जिला न्यायवादी के पद सृजित करने तथा पोस्को कोर्ट और सीबीआई कोर्ट में उप ज़िला न्यायवादी के सात पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में विभिन्न श्रेणियों के 7 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोत्तरी करने का भी निर्णय लिया।

बैठक में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों का समुचित रिकॉर्ड तैयार करने के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में परिवार रजिस्टर का रखरखाव नियम, 2023 के प्रारूप को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम – 2013 (वर्ष 2016 एवं 2017 में संशोधित) पर भी एक प्रस्तुतिकरण दिया गया। जल विद्युत परियोजनाओं को लीज प्रदान करने के मुद्दे का समग्र रूप से परीक्षण करने तथा इनसे ली जाने वाली पट्टे की राशि के बारे में सिफारिशें प्रस्तुत करने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने राज्य में लोकमित्र केन्द्रों के माध्यम से प्रदत्त सेवाओं के लिए ली जाने वाली राशि के युक्तिकरण को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने वस्तु एवं सेवा कर परिषद की सिफारिशों के क्रियान्वयन के दृष्टिगत केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, 2023 को भी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में कुछ शर्तों के साथ हिमाचल प्रदेश नौतोड़ नियम, 1968 को दो वर्षों के लिए कार्यान्वित करने का भी निर्णय लिया गया। यह क्षेत्र नेशनल पार्क, अभयारण्य, संरक्षित क्षेत्र (कंजर्वेशन रिजर्व), सामुदायिक संरक्षित (कॉम्यूनिटी रिजर्व), वन संरक्षित, डीपीएफ के अन्तर्गत नहीं होना चाहिए। नौतोड़ के लिए प्रस्तावित भूमि में खड़े पेड़ों की संख्या दो से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह भूमि केवल घरेलू उपयोग के लिए ही उपलब्ध करवाई जाएगी और संबंधित व्यक्ति की किसी भी प्रकार के वन अपराधों में संलग्नता नहीं होनी चाहिए।

आईजीएमसी में जल्द ही स्थापित किया जाएगा एल-1 ट्रॉमा सेंटर

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। राज्य सरकार ने आईजीएमसी शिमला में एल-1 ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसके सुचारू संचालन के लिए प्रदेश मंत्रिमण्डल द्वारा नर्सिंग व पैरा-मेडिकल स्टाफ के 136 पद सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मूल्यवान मानव जीवन की रक्षा करना और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना राज्य सरकार का सर्वोच्च दायित्व है। गहन देखभाल इकाइयों की बढ़ती आवश्यकता के मद्देनजर, विशेष रूप से दुर्घटनाओं और आपातस्थितियों में, आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक मरीजों की पहुंच और उपलब्धता को बढ़ाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी शिमला में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना से राज्य में आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूती मिलेगी।

आईजीएमसी शिमला में प्रस्तावित एल-1 ट्रॉमा सेंटर चौबिसों घंटे कार्यशील रहेगा और इसमें सभी सम्बंधित छह विभाग-न्यूरोसर्जरी, रेडियोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, एनेस्थीसिया, ऑर्थोपेडिक्स और जनरल सर्जरी तीन शिफ्ट में संचालित होंगे। इसके अतिरिक्त, इस सेंटर में नर्सिंग और सहायक कर्मचारियों की एक समर्पित टीम भी सेवाएं देगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रॉमा सेंटर में कार्य की तीन शिफ्ट से न केवल डॉक्टरों और पैरा-मेडिकल कर्मचारियों का काम का बोझ कम होगा, बल्कि उनके लिए काम करने की अधिक अनुकूल परिस्थितियां भी उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मरीजों को उनके स्वास्थ्य लाभ की अवधि के दौरान सर्वोत्तम देखभाल मिले। इसके अतिरिक्त, इससे उच्च लागत में उपलब्ध होने वाली निजी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं जैसी समस्याओं का भी हल होगा, जिससे गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं आम आदमी की पहुंच में होंगी।

प्रदेश सरकार स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में अत्याधुनिक तकनीक भी शामिल कर रही है और राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में शीघ्र ही चरणबद्ध तरीके से रोबोटिक सर्जरी शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग इस उद्देश्य के लिए सक्रिय रूप से बुनियादी ढांचा तैयार करने के साथ-साथ कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दे रहा है। उच्च स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे की स्थापना और इन सेवाओं को सस्ती दरों पर आम जनमानस को प्रदान करना राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय है।

हेपेटाइटिस के मरीजों के लिए निःशुल्क दवा एवं जांच की सुविधाः अवस्थी

शिमला/शैल। प्रदेश में सभी जिलों में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जा रहा है और राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 2 रेफरल लैब व 12 जिला रेफरल प्रयोगशालाओं द्वारा प्रदेश में वायरल हेपेटाइटिस की रैपिड स्क्रीनिंग की जा रही है। यह बात मुख्य संसदीय सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संजय अवस्थी ने कही।

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत सभी पात्र रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण तथा दवाएं निःशुल्क हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई की जांच और उपचार के लिए 12 उपचार केंद्रों के अलावा दो म डल उपचार केंद्र भी हैं। गर्भवती महिलाओं, उच्च जोखिम समूहों (कैदियों, नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं, ट्रक ड्राइवरों, ट्रांसजेंडर आदि) की नियमित जांच का कार्य किया जा रहा है।

अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में वायरल लोड टेस्टिंग निःशुल्क की जा रही है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के मरीजों की वायरल लोड टेस्टिंग के बाद मरीज को उपचार के लिए पात्र पाए जाने पर राज्य अधिसूचित उपचार केंद्रों में उपचार प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत मरीजों को मुफ्त दवाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी।

स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय का यह कार्यक्रम देश में वायरल हेपेटाइटिस की रोकथाम और इसे निर्यत्रित करने के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल करने की दिशा में एकीकृत पहल है। इसके तहत वायरल हेपेटाइटिस को 2030 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस वर्ष केंद्र सरकार ने विश्व हेपेटाइटिस दिवस की विषयवस्तु 'हेपेटाइटिस का सामना' हाथ मिलाना एकीकरण तथा विकेंद्रीकरण से प्रतिक्रिया में तेजी लाना रखी गई है।

उन्होंने कहा कि एनवीएचसीपी कार्यक्रम तहत हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, की रोकथाम, रोग के कारण का पता लगाना और उपचार के परिणामों की मैपिंग की जा रही है।

शहरी नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने का मार्ग प्रशस्त करेगा पारिवारिक रजिस्टर

शिमला/शैल। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करने और लोगों को लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी 'परिवार रजिस्टर' बनाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के परिवार रजिस्टर के रखरखाव नियम, 2023 के एक प्रारूप को हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। शहरी क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 48 ए धारा 308 ए और हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 43 (5) और धारा 393 में संशोधन किया गया है ताकि परिवार रजिस्टर के रखरखाव का प्रावधान किया जा सके।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार का यह नवोन्मेषी कदम शहरी क्षेत्रों के लिए योजनाओं को तैयार करने के दृष्टिगत निर्णय लेने में मील पत्थर साबित होगा। इससे इन क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के बारे में महत्वपूर्ण डॉटा उपलब्ध होगा, जिसके उपयोग से संसाधनों के बेहतर आबंटन सुनिश्चित कर जन कल्याण के लिए स्टीक योजनाएं बना जा सकेंगी।

अभी तक केवल ग्राम पंचायतों में ही परिवार रजिस्टर रखे जाते थे। इस पहल के साथ, शहरी आबादी की आपत्तियों और सुझावों के उपरांत अंतिम मंजूरी मिलने के बाद शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का प्रभावी ढंग से लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक परिवार रजिस्टर को संशोधित किया जा सकता है और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आवश्यक संशोधन किए जा सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार में रहने वाले सदस्यों, उनके व्यवसाय, जाति, शैक्षणिक स्थिति और अन्य आवश्यक विवरणों का रिकार्ड रखना महत्वपूर्ण है। पारिवारिक रिकार्ड सुनिश्चित होने से सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं का स्थानीय निकायों के लोगों को लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

संशोधित नियमों के तहत वार्ड समिति के संबंधित सचिव को वार्ड के वास्तविक निवासियों के परिवारों के विवरण के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण करना आवश्यक होगा। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी या नगर पंचायत के सचिव या इसके लिए विशेष रूप से नामित सत्यापन अधिकारी द्वारा रजिस्टर सत्यापित किया जाएगा।

सभी आवश्यक संशोधन और सत्यापन पूरे होने के उपरांत तैयार किया गया अंतिम परिवार रजिस्टर अनुमोदन के लिए सदन के समक्ष रखा जाएगा और राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद संबंधित अधिकारी द्वारा यह डाटा ऑनलाइन मोड के माध्यम से आम जनता को उपलब्ध करवाया जाएगा।

15 अगस्त, 2023 तक राशनकार्ड से आधार को जोड़ना अनिवार्य

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत उपभोक्ताओं के राशन कार्डो में उनकी आधार संख्या पंजीकृत की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक 99.60 प्रतिशत राशनकार्ड लाभार्थियों के राशनकार्ड को आधार संख्या से जोड़ा जा चुका है। प्रदेश में कुल 74,60,584 लाभार्थी हैं जिनमें से 74,30,737 लाभार्थियों के आधार राशनकार्ड से जोड़ दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपने राशनकार्ड को आधार से नहीं जोड़ा है वह 15 अगस्त, 2023 से पूर्व नजदीकी राशन डिपो में जाकर अपना आधार दर्ज करवा सकते हैं। यदि कोई अपना आधार 15 अगस्त, 2023 तक दर्ज नहीं करवाता है तो इस स्थिति में राशनकार्ड को अस्थाई रूप से बंद कर दिया जाएगा तथा आधार की जानकारी उपलब्ध करवाने के बाद ही राशनकार्ड को फिर से शुरू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राशनकार्ड धारकों की सुविधा के लिए लाभार्थियों के मोबाइल नम्बर को भी उनके राशनकार्ड के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध करवाए जा रहे खाद्यान्नों की सुविधा संबंधित जानकारी उपभोक्ताओं को पंजीकृत मोबाइल पर दी जा सके। उपभोक्ता विभागीय वैबसाईट/ पारदर्शिता पोर्टल https://epds.co.in पर जाकर अपडेट मोबाइल नम्बर विकल्प के अधीन अपने 12 अंकों के आधार नम्बर दर्ज करवाने के उपरान्त अपना मोबाइल नम्बर अपडेट कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि विभाग उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से ई-केवाईसी के माध्यम से यह सुनिश्चित कर रहा है कि राशनकार्ड में दर्ज व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि तथा लिंग आधार में दर्ज डाटा के अनुरूप ही हो। इस विषय में उपभोक्ता अधिक जानकारी विभागीय वैबसाइट/ पारदर्शिता पोर्टल https://epds.co.in पर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी उचित मूल्य दुकानदारों को समयबद्ध ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

न्यायमूर्ति रंजन शर्मा, न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी और न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में शपथ ग्रहण की

शिमला/शैल। न्यायमूर्ति रंजन शर्मा, न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी और न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में आयोजित एक गरिमापूर्ण समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई।

इस समारोह में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ममीदन्ना सत्य रत्न श्री रामचन्द्र राव भी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने शपथ समारोह की कार्यवाही का संचालन किया और भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति पत्र पढ़े।

राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा ने शपथ-पत्र पर राज्यपाल और माननीय न्यायाधीशों के हस्ताक्षर प्राप्त किये।

लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल, नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पी.एस. राणा, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, विधायक सुधीर शर्मा और केवल सिंह पठानिया, महापौर सुरेंद्र चौहान, महाधिवक्ता अनूप रतन, विभिन्न बोर्डो और निगमों के अध्यक्ष एवं सदस्य, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, वरिष्ठ न्यायिक, नागरिक और पुलिस अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

न्यायमूर्ति रंजन शर्मा का जन्म 21 अगस्त, 1968 को जिला कांगड़ा के धर्मशाला में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा राजकीय विद्यालय धर्मशाला से ग्रहण की। उन्हें रोहतक विश्वविद्यालय से एलएलबी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। उन्होंने दिसम्बर, 1991 में एक अधिवक्ता के रूप में कार्यभार संभाला और मार्च, 2019 में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। उन्होंने वर्ष 2008 और 2018 में दो बार अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं। न्यायमूर्ति रंजन शर्मा ने विधि के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया है।

कांगड़ा जिला के धर्मशाला में 20 जुलाई, 1968 जन्में **न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी** किन्नौर जिला से संबंध रखते हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट एडवर्ड स्कूल, शिमला, और दिल्ली पब्लिक स्कूल, आरकेपुरम नई दिल्ली से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.ए अर्थशास्त्र (ऑनर्स) और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। उन्हें वर्ष, 1994 में एक अधिवक्त के रूप में कार्य आरम्भ किया और उन्हें वर्ष 2015 में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी ने विधि के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दीं हैं।

न्यायमूर्ति राकेश कैंथला का जन्म 23 मई, 1968 को शिमला में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा डी.ए.वी.स्कूल, लक्कड़ बाजार से तथा स्नातक की उपाधि राजकीय महाविद्यालय संजौली, शिमला, से प्राप्त की। उन्होंने वर्ष 1991 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने वर्ष 1991 में एक अधिवक्ता के रूप में कार्य आरम्भ किया और कानून के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दीं। न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने वर्ष 1995 में हिमाचल न्यायिक सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वर्ष, 2010 में उन्होंने न्यायिक अधिकारियों की सीमित (लिमिटेड) प्रतियोगी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुये। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में विभिन्न सिविल और सत्र डिवीजनों में न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य किया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले वह बतौर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी में कार्यरत थे।

सेब उत्पादक क्षेत्रों में सड़क बहाली को दी जाएगी प्राथमिकता:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश और भू-स्खलन के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दोहराया कि सेब उत्पादक क्षेत्रों की सड़कों की बहाली को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि बागवानों की उपज को समय पर बाजार तक पहुंचाया जा सके।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित सड़कों की शीघ्र बहाली के लिए 23 करोड़ रुपये और स्वीकृत किये हैं। उन्होंने कहा कि इस राशि में से पांच करोड़ रुपये यशवंत नगर से छैला तक की सड़क के मरम्मत कार्य पर खर्च किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, शिमला जिले के सेब उत्पादक क्षेत्रों के तहत लोक निर्माण विभाग के सात मण्डल में प्रत्येक को सड़कों की मरम्मत एवं बहाली के लिए एक-एक करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उन लोक निर्माण विभाग मण्डलों को भी एक-एक करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं, जहां प्राकृतिक आपदा के कारण क्षति अधिक हुई है, जिनमें कुल्लू जिले के चार विकास खण्ड, सिरमौर जिले के शिलाई और राजगढ़ विकास खण्ड शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही वह चौपाल और जुब्बल-कोटखाई क्षेत्रों का दौरा करेंगे तथा इन क्षेत्रों में किये जा रहे मरम्मत कार्यो की समीक्षा करेंगे। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि सड़कों पर गिरा मलबा हटाने के लिए मशीनरी खरीदने से लेकर उसे प्रभावित क्षेत्रों में तैनात करने का कार्य समयबद्ध सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि सड़कों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार धन की कोई कमी नहीं आने देगी।

उन्होंने अधिकारियों को अग्रिम भुगतान के साथ लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृहों की ऑनलाइन बुकिंग प्रारम्भ करने को कहा

साथ ही कहा कि जल शक्ति विभाग को भी इस प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने निर्माण कार्यो की अनुमानित लागत में बढ़ोतरी की प्रथा को रोकने पर बल देते हुए अधिकारियों को क्लॉज 10 सीसी को हटाने के भी निर्देश दिए।

बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, विधायक चंद्रशेखर और चैतन्य शर्मा, प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा, प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग भरत खेड़ा, सचिव वित्त अक्षय सूद, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग अजय गुप्ता एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

जीवन प्रमाण फेस एप्लिकेशन' से ऑनलाइन जीवन प्रमाण-पत्र जमा करवा सकेंगे पेंशनभोगी

शिमला/शैल। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बताया कि राज्य सरकार के पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण-पत्र जमा करवाने की प्रक्रिया और सरल की गई है। इसके लिए 'जीवन प्रमाण फेस एप्लिकेशन' के माध्यम से फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को शामिल करने का निर्णय लिया है।

मुख्य सचिव ने कहा कि यह नवीनतम प्रयास पेंशनभोगियों को सुलभ सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पेंशनभोगी इस तकनीक के उपयोग से घर बैठे अपना जीवन प्रमाण-पत्र जमा कर सकते हैं और उन्हें कार्यालयों में आने और लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह प्रक्रिया अत्यधिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है।

इस पहल के तहत राज्य सरकार के पेंशनधारक अब आसानी से अपने चेहरे को बायोमेट्रिक रूप से सत्यापित कर सकते हैं और अपने एंड्राइड डिवाइस से बिना किसी परेशानी के अपना जीवन प्रमाण-पत्र कोष विभाग के पास जमा करवा सकते हैं।

कोष विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस सुविधा के लिए पेंशन धारकों को अपने एंड्राइड डिवाइस पर गूगल प्ले स्टोर से 'जीवन प्रमाण फेस ऐप' और 'आधारफेसआरडी ऐप' इंस्टाल करना होगा। इन ऐप के माध्यम से सत्यापन की विस्तृत जानकारी https://himkosh.hp. nic.in/treasuryportal/epension/epensionkhoj.asp पर भी उपलब्ध है।

ऐप इंस्टाल करने के उपरांत सत्यापित करने के लिये पेंशनर को जीवन प्रमाण फेस ऐप में अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालना होगा। इसमें आधार से जुड़ा मोबाइल डालने की अनिवार्यता नहीं है और पेंशनधारक कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकता है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के उपरान्त मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जायेगा और उसे ऐप में दर्ज करना होगा। इसके बाद आधार में पूरा नाम, पेंशनभोगी का प्रकार, मंजूरी देने वाला प्राधिकरण (राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश), संवितरण एजेंसी (हिमाचल प्रदेश राज्य कोष), ट्रेजरी/उप ट्रेजरी (हिमाचल प्रदेश राज्य कोष) इत्यादि विवरण डालकर ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकेगा। ऐप पर यह जानकारियां भरने पर पेंशनभोगी के चेहरे को स्कैन करने व पलकें-आंखें झपकाने का संदेश आयेगा। एक बार छवि सफलतापूर्वक कैप्चर हो जाने पर, प्रमाण आईडी जेनरेट हो जायेगी और मोबाइल नंबर पर एसएमएस भी आयेगा। यह प्रमाण पत्र स्वत: ही प्रदेश के ई-पेंशन पर आयेगा जिसकी पुष्टि ई-पेंशन के माध्यम से एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस पहल से पेंशनभोगियों की सुविधा बढ़ाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित होती है तथा आम आदमी को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिये तकनीकी प्रगति का एक बेहतर उदाहरण है।

विश्व स्काउट्स जम्बूरी में भाग लेंगे प्रदेश के 10 प्रतिभागी

कांगड़ा के सात स्काउट्स और एक व्यस्क लीडर दक्षिण कोरिया गणराज्य में 01 से 12 अगस्त, 2023 तक आयोजित होने वाली 25वीं विश्व स्तरीय जम्बूरी में प्रतिभागी के तौर पर भाग लेंगे। ज़िला कांगड़ा के सत्यम धीमान, केतन सोडी, अनित्य धीमान, निपुण शर्मा, हर्षित, अंश प्रधान, वाणिक पंडित और कर्ण ठाकुर इस टीम का हिस्सा हैं। इसके अतिरिक्त जिला मण्डी से बलवीर सिंह रोवर के तौर पर और ज़िला कुल्लू से अंकिता ठाकुर रेंजर के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सर्विस टीम में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि भारत स्काउट्स एंड गाईड्स के बैनर तले इस अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरी में देश के 384 प्रतिभागी भाग लेंगे। प्रदेश के स्काऊट्स अनित्य धीमान यूनिट नम्बर-7 में मीडिया कोऑर्डिनेटर हैड के रूप में कार्य करेंगे। इस जम्बूरी में विश्व भर के 172 स्काउटिंग के लगभग 50 हजार से अधिक स्काउट्स भाग लेंगे।

प्रवक्ता ने बताया कि भारत स्काउट्स एंड गाईड्स हिमाचल प्रदेश के ज़िला

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

आपदा में भी राजनीति से बाज नहीं आ रही है सरकार:जयराम ठाकुर

शिमला/शैल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा में प्रदेश के साथ खड़े रहने के लिये मुख्यमंत्री को दिल्ली जाकर आभार जताना चाहिये था और सारी स्थिति पर अपना पक्ष रखना चाहिये था लेकिन उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाने शुरू कर दिये। समय से पहले मदद मिलने के बाद भी एक पाई न मिलने जैसी बातें करने लगे। राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह के आरोप लगाना बहुत शर्मनाक हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री कह दें कि राहत और बचाव कार्य के लिये केंद्र ने एनडीआरएफ़ की टीमें नहीं भेजी, बीआरओ को काम पर नहीं लगाया, थल सेना और वायु सेना के जवानों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर हज़ारों लोगों के प्राणों की रक्षा नहीं की। वह कह दें कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने दुनिया के सबसे ख़तरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन को हिमाचल में अंजाम नहीं दिया या प्रधानमंत्री गृहमंत्री, समेत अन्य मंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कंधे से कंधा मिलाकर हिमाचल प्रदेश के साथ खड़े होने का भरोसा नहीं दिया। इतना सब कुछ करने के बाद भी यदि मुख्यमंत्री उनके मंत्री और कांग्रेस के छूटभैये नेता यह कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं की तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भारी बारिश की वार्निंग के बाद भी सरकार की तरफ़ से किसी तरह की तैयारी नहीं की गई और न ही आपदा से बचने और उसके जोखिम को कम करने का कोई प्रयास किया गया। सरकार की कोई तैयारी नहीं थी, हर सरकार में एक रवायत रही है कि गर्मी बरसात और बर्फ़बारी के पहले हमेशा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक हाई लेवल की मीटिंग होती हैं, जिसमें मौसम से होने वाले ख़तरों का आकलन किया जाता है और उससे बचने की योजना बनाई जाती है। वर्तमान सरकार ने एक मीटिंग करने की भी ज़हमत नहीं उठाई। अगर सरकार की तैयारी होती तो इस आपदा में जनहानि कम की जा सकती थी। लोगों को सचेत किया जा सकता था। इसी कारण तबाही बहुत ज्यादा हुई और बचाव एवं राहत कार्य में वह धार नहीं दिखी, जिसकी आपदा के समय आवश्यकता थी।

उन्होंने कहा कि यह सरकार आपदा राहत के मुद्दे पर भी पूरी तरह फेल रही। आपदा प्रभावितों को समय पर राहत नहीं पहुंच पायी। आज भी बहुत से प्रभावित ऐसे हैं जिन तक सरकार नहीं पहुंच पायी। सरकार के सभी विभागों में समन्वय की कमी दिखी। जिसकी वजह से राहत और पुनर्वास के कार्यक्रम प्रभारी तरह से नहीं हो पाये। आपदा के लिये केंद्र द्वारा भेजे गये हेलीकॉप्टर मंत्रियों और सरकार ने प्रभावी राहत कार्य में लगाने की बजाये, अपने पीआर में लगाने की कोशिश की। सेना के हेलीकॉप्टर पर नेता सेल्फ़ियाँ लेते नज़र आये। आपदा

से बचाव की पूर्व योजना से लेकर राहत और बचाव के मामले में यह सरकार पूरी तरह से नाकाम रही। आज भी कई ऐसी जगहें हैं, जहां पर सड़कें बंद हैं। आपदा राहत में के नाम पर बांटी जाने वाली राशि के मामले में जो हुआ वह आज तक कहीं नहीं हुआ। जो राहत देने का काम प्रशासन का था, वह कांग्रेसी नेताओं की पत्नियों और बच्चों ने किया। इस तरह की व्यवस्था कभी नहीं थी।

आपदा में बचाव कार्य के दौरान सेना की क्षमताओं पर सवाल उठाये गये। सेना के प्रति अपमानजनक टिप्पणियाँ की गयी। आपदा में अपनी जान की बाज़ी लगा कर लोगों के जीवन की रक्षा करने वालों के लिए कांग्रेसी नेताओं का यह कहना 'सेना ने भी हाथ खड़े कर दिये थे', सेना के सामर्थ्य पर इससे दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी नहीं हो सकती है।

नेता प्रतिपक्ष में कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री समेत प्रमुख नेताओं ने मुख्यमंत्री से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का मैंने दौरा किया और प्रदेश भर में हुए नुक़सान का जायज़ा लिया। मैं दिल्ली गया, प्रदेश को हुये नुक़सान के बारे में गृहमंत्री अमित शाह को अवगत करवाया और हर संभव मदद का आग्रह किया। गृह मंत्री ने तत्काल आपदा राहत के लिए एडवांस में 183 करोड़ की आपदा राहत राशि जारी की। राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण के निर्देश दिये और कहा कि कल और राशि जारी करेंगे। अगले दिन राज्य सरकार के खाते में 181 करोड़ रुपये और आ गये। कुल 364 करोड़ रुपये की तत्काल मदद की गई। यह धनराशि अग्रिम मदद के रूप में आयी है। केंद्र द्वारा बारिश के मौसम की समाप्ति के बाद ही टीमें आती हैं और नुक़सान का जायज़ा लेती हैं। इस बार आपदा के दो हफ़्ते के भीतर यह हो गया। केंद्र हर तरह से मदद कर रहा है। हर चीज की एक निर्धारित प्रक्रिया है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि दो दिन पहले दूसरी बार दिल्ली जाकर मैंने रक्षा मंत्री को उनके सहयोग के लिए आभार जताया और नितिन गड़करी से बात कर सड़क इंफ़्रास्ट्रक्चर को हुये नुक़सान का ज़ायज़ा लेने का अनुरोध किया जिससे नेशनल हाई वे को हुये नुक़सान से उबरने की प्रभावित योजना बनाई जा सके। नितिन गड़करी 01 अगस्त को हिमाचल आ रहे हैं। गड़करी ने चंडीगढ़-कीरतपुर नेशनल हाईवे का टोल अगले छह महीने के लिए माफ़ कर दिया है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह अपनी नाराज़गी जिससे ज़ाहिर करनी है उससे नहीं कर पा रहे हैं। वह अपनी बात से हर बार पलट जाते हैं, उनके पाटीं के मंत्री उन्हें बचकानी हरकत करने वाला बोलते हैं। यूसीसी का समर्थन किया।, बाद में पलट गये, सोशल मीडिया पर लिखी पोस्ट भी डिलीट कर दी। वह पल्टूराम हैं।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि थुनाग में लैंड स्लाइड से दर्जनों मकान ध्वस्त हो गये। 100 से ज्यादा परिवारों के के घरों को नुक़सान पहुंचा, लोगों ने उस त्रासदी की भी अलग एंगल देने की कोशिश की। सरकार के अधिकारियों द्वारा जांच में यह साफ़ हो गया कि यह एक त्रासदी थी, जिसकी वजह से लोगों को अपना आशियाना गंवाना पड़ा।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कौल सिंह वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन इस उम्र में दो-दो बार अपने चेलाओं से हारने के बाद से वजह परेशान हैं।

केन्द्र सरकार की नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ प्रदेशभर में 9 अगस्त को प्रदर्शन

शिमला/शैल। केंद्र की मोदी सरकार की मजदूर, कर्मचारी व जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व राष्ट्रीय फेडरेशनों की हिमाचल प्रदेश इकाई ने शिमला के

कालीबाड़ी हॉल में राज्य स्तरीय अधिवेशन का आयोजन किया। अधिवेशन में प्रदेशभर से सैकड़ों मजदूरों ने भाग लिया। अधिवेशन का उद्घाटन सीटू राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने किया। अधिवेशन को सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, महासचिव प्रेम गौतम, एटक प्रदेशाध्यक्ष जगदीश भारद्वाज, महासचिव देवकीनन्द चौहान, इंटक के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष रूप सिंह ठाकुर व उपाध्यक्ष भारत भूषण ने सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार की नवउदारवादी व पूंजीपति परस्त नीतियों के खिलाफ प्रदेशभर में 9 अगस्त को जिला व ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे। इन नीतियों के कारण बेरोजगारी, गरीबी, असमानता व रोजी रोटी का संकट बढ़ रहा है। जनता की अपनी अवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च करने की क्षमता घट रही है। बेरोजगारी व महंगाई से गरीबी व भुखमरी बढ़ रही है। जनता को बाजार से महंगा राशन लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कमज़ोर करने के कारण बढ़ती मंहगाई ने जनता की कमर तोड़ कर रख दी है। पेट्रोल, डीज़ल, रसोई गैस, खाद्य वस्तुओं के दामों में भारी वृद्धि हो रही है।

मजदूर नेताओं ने कहा कि आज संघर्ष केवल आजीविका और काम करने की स्थिति की तत्काल मांगों के लिए नहीं है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिये है, हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक चरित्र को इस सांप्रदायिक और निरंकुश भाजपा-आरएसएस शासन से बचाने के लिए भी है। उन्होंने देश भर के मजदूरों व कर्मचारियों से आहवान किया कि वे अपनी जायज मांगों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करें और भाजपा-आरएसएस के नवउदारवादी, साम्प्रदायिक और निरंकुश शासन पर रोक लगायें।

उन्होंने 'न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रति माह और सभी श्रमिकों को पेंशन सुनिश्चित करने, मजदूर विरोधी चार श्रम संहिताओं और बिजली संशोधन विधेयक को निरस्त करने, कॉन्ट्रेक्ट, पार्ट टाइम, मल्टी पर्पज, मल्टी टास्क, टेम्परेरी, कैजुअल, फिक्स टर्म, ठेकेदारी प्रथा व आउटसोर्स प्रणाली पर रोक लगाकर इन सभी मजदूरों को नियमित करने, शहरी क्षेत्रों में विस्तार के साथ मनरेगा के तहत 600 रुपये प्रति दिन की मजदूरी पर 200 कार्य दिवस प्रदान करने, मनरेगा, निर्माण तथा बीआरओ मजदूरों का श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण व आर्थिक लाभ बहाल करने की मांग की। उन्होंने सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण व विनिवेश को रोकने, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन व अग्निपथ योजना को खत्म करने, महंगाई को रोकने और डिपुओं में राशन प्रणाली को मजबूत कर उसे सार्वभौमिक बनाने, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, आशा वर्करज़ सहित सभी योजना कर्मियों को नियमित करने, बिजली बोर्ड, अन्य बोर्डों व निगमों के कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने, बीआरओ का निजीकरण रोकने व बीआरओ मजदूरों को नियमित करने, तयबजारी के लिए स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लागू करने, मोटर व्हीकल एक्ट में मजदूर व मालिक विरोधी बदलाव वापिस लेने की मांग की।